रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-08052026-272322
CG-GJ-E-08052026-272322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/वैशाख 17, 1948
No. 307]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/VAISAKHA 17, 1948

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 5 मई, 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (टेकफिन और अनुषंगी सेवाएं) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/ 008.— अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (टेकफिन और अनुषंगी सेवाएं) (संशोधन) विनियम, 2025 (जिसे आगे मूल विनियम' कहा जाएगा) में और परिवर्तन करने के लिए ये विनियम बनाती है, अर्थात:-

1. मूल विनियम में, अध्याय V के बाद, निम्नांकित अध्याय संयोजित किया जाएगा, अर्थात: -

"अध्याय- Vक
न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता

10क. परिभाषा

"न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता या टीसीएसपी" का अभिप्राय ऐसी एंटिटी से है जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुमत पट्टेदारी कार्यकलापों के लिए न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता सेवा करने के लिए इन विनियमों के अधीन टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता के तौर पर रजिस्ट्रीकरण दिया गया है।

10ख. रजिस्ट्रीकरण की मांग करने का उत्तरदायित्व

(1) ऐसी एंटिटी जो पट्टेदारी कार्यकलाप के लिए इन विनियमों के अधीन न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता सेवा करना चाहती है प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद, आईएफएससी में अपना कार्य तब तक शुरू नहीं करेगी, जब तक उसे प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र न मिल जाए।

(2) न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता सेवा करने की इच्छुक कोई एंटिटी इन विनियमों के विनियम 6 के उपविनियम (1) के अधीन बताए गए प्ररूप और तरीके से प्राधिकरण को आवेदन करेगी और आवेदन प्ररूप के हिस्से के रूप में, यह घोषणा करेगी कि वह न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता के तौर पर अपने कार्यकलाप और दूसरी सेवा के मध्य कुछ दूरी का संबंध बनाकर रखेगी।

(3) न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता सेवा करने के लिए किसी एंटिटी को दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा, जब तक कि उसे प्राधिकरण निलंबित या निरस्त न कर दे या न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता अपनी मर्ज़ी से अभ्यर्पित न कर दे।

बशर्ते कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अपनी मर्ज़ी से अभ्यर्पण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ही लागू होगा।

स्पष्टीकरण. – न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता सेवा प्रदान करने के इच्छुक विद्यमान टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता को न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता सेवाएं प्रदान करने के लिए, प्राधिकरण से अलग से अनुमति लेनी होगी।

10 ग. आवेदक का वैधानिक प्ररूप और पात्रता

(1) आवेदक आईएफएससी में कंपनी या सीमित देयता साझेदारी के रूप में, या प्राधिकरण द्वारा अनुमत किसी भी अन्य रूप में निगमित एंटिटी होगी।

(2) आवेदक एंटिटी के सभी प्रवर्तक या साझेदार ऐसे न्यायाधिकार क्षेत्र से होंगे, जिसे वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में *"कार्रवाई के लिए आह्वान करने के अध्यधीन उच्च जोखिम न्यायाधिकार क्षेत्र"* के तौर पर चिह्नित नहीं किया गया है।

10घ. अनुमत्य सेवा

आईएफएससी में न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता द्वारा की जा सकने वाली अनुमत्य सेवा इन विनियमों की पांचवीं अनुसूची में बताई गई हैं।

10ङ. उचित और समुचित आवश्यकताएँ

न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि एंटिटी और उसके प्रधान अधिकारी, अनुपालन अधिकारी, निदेशक, साझेदार, नमोनिदेषित साझेदार, और नियंत्रक शेयरधारक इन विनियमों के विनियम 7 के अनुसार हर समय 'उचित और समुचित व्यक्ति' हों।

10च. शासन और नियंत्रण

(1) हर न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता के पास शासी निकाय होगा, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, उसके कार्यकलापों के पैमाने, स्वरूप, जटिलता और जोखिम प्रोफाइल की दृष्टि से शासी ढांचा बनाएगा।

(2) न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता अपने संकार्यों के पैमाने, स्वरूप, जटिलता और जोखिम प्रोफ़ाइल की दृष्टि से आतंरिक लेखापरीक्षा या स्वतन्त्र समीक्षा ढाँचा बनाएगा, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ इसका मूल्यांकन किया जा सके:

(क) शासन और नियंत्रण ढांचा काफ़ी है;

(ख) एएमएल/सीएफटी/केवाईसी प्रणाली और प्रक्रिया का प्रभाव;

(ग) ग्राहक और एंटिटी रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता; और

(घ) नियामक अनुमोदन और सेवा क्षेत्र का पालन।

बशर्ते कि प्राधिकरण न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता एंटिटियों के ऐसे वर्ग के लिए विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकती है, जहाँ जोखिम प्रोफ़ाइल में ऐसा करने की आवश्यकता हो।

(3) न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में, इनके बारे में परिशुद्ध और अद्यतन अभिलेखन का रखरखाव करेगा:

(क) प्रत्येक विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था जिसे प्रबंधित किया जाता है;

(ख) निदेशक, न्यासी, संरक्षक, साझेदार और नामित शेयरधारकों का विवरण;

(ग) न्यास दस्तावेज, संविधानिक दस्तावेज, शेयरधारक समझौते और इसी तरह के लिखतें, जहाँ न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता शामिल है;

(घ) प्रदान की गई सेवा, सेवा समझौते और व्यस्तता की अवधि

(4) उपविनियम (3) के अधीन बताए गए ऐसे रिकॉर्ड:

(क) प्राधिकरण या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे;

(ख) ग्राहक संबंध समाप्त होने के बाद न्यूनतम पांच वर्ष तक या लागू विधान और विनियम के अधीन बताई गई लंबी अवधि तक रखे जाएंगे।

(ग) सही डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सेफगार्ड के माध्यम से सुरक्षित।

(5) न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता कार्यों का प्रभावी बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए आतंरिक नीति, प्रक्रिया और प्रणाली-आधारित नियंत्रण बनाएगा और बनाए रखेगा, ताकि किसी कार्य या व्यक्ति की ग्राहक स्वीकृति, सेवा प्रदायगी, संव्यवहार कार्यकरण और अनुपालन निगरानी पर एक छोर से दूसरे छोर तक नियंत्रण न हो।

(6) न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण द्वारा अनुमत पट्टेदारी कार्यकलाप के लिए टीसीएसपी सेवा को एक अलग और सही संसाधन वाली, सही शासन व्यवस्था, नीति, प्रणाली, नियंत्रण और मुख्य लोगों द्वारा समर्थित व्यापार क्षेत्र के तौर पर चलाया जाए।

10 छ. प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति।

(1) हर न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता इन विनियमों के विनियम 9 के अनुसार प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी आईएफएससी से बाहर होंगे और न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता के पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे।

(3) प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी के पास नीचे बताई गई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और अनुभव होना चाहिए:

(क) वित्त, विधि, वाणिज्य, या इससे जुड़े क्षेत्र में व्यावसायिक या स्नातकोतर अर्हता;

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रधान अधिकारी के पास वित्तीय सेवा कार्यकलाप में अर्हता के बाद न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

बशर्ते कि किसी अन्य लागू विधि या विनियम के अधीन नियुक्त किए गए अनुपालन अधिकारी को टीसीएसपी व्यवसाय के लिए अनुपालन अधिकारी के तौर पर फिर से नमोनिदेषित किया जा सकता है, बशर्ते कि वह ऊपर बताई गई न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करता हो।

10 ज. पात्र सेवा प्राप्तकर्ता

न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता ऐसी सेवा पाने वाले को सेवा प्रदान कर सकता है, जो अनिवासी हो और ऐसे न्यायाधिकार क्षेत्र से हो जिसे वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में "कार्रवाई के लिए आह्वान के अध्यधीन उच्च-जोखिम न्यायाधिकार क्षेत्र" के तौर पर चिह्नित नहीं किया गया हो।

बशर्ते कि न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता आईएफएससी में एक विशेष प्रयोजन वाहन व्हीकल को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध सेवा दे सकता है, जहां ऐसा विशेष प्रयोजन वाहन व्हीकल प्राथमिक सेवा पाने वाला हो, भले ही ऐसी सेवा भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर या उसके लाभ के लिए की गई हों।

स्पष्टीकरण. - भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो किसी विशेष प्रयोजन वाहन व्हीकल को प्रायोजित करता है, आरंभ करता है, या वित्तपोषित करता है, उसे केवल इस कारण से न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता की सेवा पाने वाला नहीं माना जाएगा, और न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता अपने अनुबंध और न्यासीय उत्तरदायित्वों को केवल आईएफएससी में विद्यमान विशेष प्रयोजन व्हीकल के प्रति लागू सेवा समझौते के अनुसार पूरा करेगा।

10 ञ. रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं

(1) न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता अपने संकार्य से जुड़ी जानकारी प्राधिकरण को प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके, अवधि और प्ररूप में प्रदान करेगा।

(2) न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को कोई भी वित्तीय रिपोर्टिंग अमेरिकी डॉलर की जाएगी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इस बारे में अन्यथा न बताया गया हो।

10 ट. व्यतिक्रम के मामले में कार्रवाई

(1) जो न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता इन विनियमों, दिशानिदेशों, परिपत्रों या इसके अधीन बनाए गए निदेशों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, उस पर

अधिनियम के अधीन प्रवर्तन कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या निरस्तन शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है।

(2) उपविनियम (1) में बताई गई कोई भी प्रवर्तन कार्यवाही न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता को लिखित निवेदन के माध्यम से सुनवाई का उचित मौका दिए बिना नहीं की जाएगी।

10 ठ. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा

हर न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता अपने बिज़नेस के स्केल और रिस्क प्रोफ़ाइल के हिसाब से प्रोफेशनल इंडेम्निटी इंश्योरेंस कवर रखेगा, ताकि लापरवाही, गलतियों, चूक या ड्यूटी के उल्लंघन से होने वाले क्लेम्स से बचाव हो सके।

10 ड. हितों के टकराव का ढांचा

हर न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता अपने व्यवसाय के दौरान होने वाले हितों के टकराव की पहचान करेगा और जहाँ उचित होगा, उन्हें बताएगा, और लिखित टकराव प्रबंधन नीति बनाए रखेगा।

2. मुख्य विनियम में, चौथी अनुसूची के बाद, यह अनुसूची समाविष्ट की जाएगी, अर्थात: -

पांचवीं अनुसूची
[देखें विनियम 10]

न्यास और कंपनी सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा अनुमत पट्टेदारी कार्यकलाप के लिए नीचे दी गई एक या अधिक सेवाएं प्रदान कर सकता है।

(i) न्यास, कंपनी, सीमित देयता साझेदारी या कोई अन्य निकाय कारपोरेट बनाने के लिए एजेंट के तौर पर कार्य करना;

(ii) जैसा भी मामला हो, किसी अन्य व्यक्ति के तौर पर कार्य करना या उसके लिए व्यवस्था करना:

(क) न्यासी, एक्सप्रेस न्यास के मामले में या किसी अन्य तरह के न्यास के लिए बराबर का कार्य करना;

(ख) कंपनी के मामले में निदेशक या कंपनी सचिव या नामित शेयरधारक;

(ग) सीमित देयता साझेदारी के मामले में साझेदार या नमोनिदेषित साझेदार;

(घ) निकाय कारपोरेट के मामले में, किसी भी नाम से जाना जाने वाला कोई समकक्ष व्यक्ति;

(iii) किसी न्यास, कंपनी, सीमित देयता साझेदारी या कारपोरेट निकाय के लिए लागू कानून द्वारा यथा-अनुमत रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, व्यवसाय का पता, पत्राचार या प्रशासनिक पता उपलब्ध कराना;

(iv) प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमत कोई अन्य सेवा।

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./75/2026-27]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 5th May, 2026

International Financial Services Centres Authority (TechFin and Ancillary Services) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. IFSCA/GN/2026/ 008.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub section (1) of Section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (TechFin and Ancillary Services) Regulations, 2025 (hereinafter referred to as the 'principal regulations'), namely:-

1. In the principal regulations, after Chapter V, the following Chapter shall be inserted namely: -

"CHAPTER- VA

Trust and Company Services Provider

10A. Definition

"Trust and Company Services Provider or TCSP" means an entity which has been granted registration as Tech Fin and Ancillary Services Provider under these regulations to undertake Trust and Company Services Provider services for leasing activities permitted by the Authority.

10 B. Obligation to seek registration

(1) An entity desirous of undertaking Trust and Company Services Provider services under these regulations for leasing activities permitted by the Authority, shall not commence its operations in the IFSC, unless it has been granted a certificate of registration by the Authority.

(2) An entity desirous of undertaking Trust and Company Services Provider services shall make an application to the Authority in such form and manner as specified under sub-regulation (1) of regulation 6 of these regulations and as part of the application form, submit a declaration that it shall maintain an arm's length relationship between its activities as Trust and Company Services Provider and other services.

(3) The certificate of registration granted to an entity for undertaking the Trust and Company Services Provider Services shall be valid unless it is suspended or cancelled by the Authority or voluntarily surrendered by the Trust and Company Services Provider.

Provided that the voluntary surrender of certificate of registration shall be effective only after its acceptance by the Authority.

Explanation. - Existing TechFin and Ancillary Service Provider desirous of undertaking Trust and Company Services Provider services shall seek separate approval from the Authority to undertake Trust and Company Services Provider Services.

10 C. Legal Form of the Applicant and Eligibility

(1) The applicant shall be an entity incorporated as a company or limited liability partnership in the IFSC, or in any other form as may be permitted by the Authority.

(2) All the promoters or partners of the applicant entity shall be from a jurisdiction which has not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as *"High-Risk Jurisdictions subject to call for action*".

10 D. Permissible services.

The permissible services that may be undertaken by a Trust and Company Services Provider in IFSC are specified in the Fifth Schedule of these regulations.

10 E. Fit and Proper Requirements

The Trust and Company Services Provider shall ensure that the entity and its principal officer, compliance officer, directors, partners, designated partners, and controlling shareholders are 'fit and proper persons' at all times, in accordance with Regulation 7 of these regulations.

10 F. Governance and Control

(1) Every Trust and Company Services Provider shall have a Governing Body in place, which shall, *inter-alia*, formulate a governance framework commensurate with the scale, nature, complexity and risk profile of its activities.

(2) The Trust and Company Services Provider shall establish an internal audit or independent review mechanism, commensurate with the scale, nature, complexity and risk profile of its operations, to *inter-alia* assess:

(a) adequacy of governance and control framework;
(b) effectiveness of AML/CFT/ KYC systems and procedures;
(c) accuracy and completeness of client and entity records; and
(d) adherence to regulatory approvals and service scope.

Provided that the Authority may appoint an external auditor to conduct special audits for such class of Trust and Company Services Provider entities where risk profile so warrants.

(3) The Trust and Company Services Provider shall maintain, in physical or electronic form, accurate and up-to-date records in respect of:

(a) each legal person or legal arrangement administered;

(b) details of directors, trustees, protectors, partners and nominee shareholders;

(c) trust deeds, constitutional documents, shareholders' agreements and similar instruments, where Trust and Company Services Provider is involved;

(d) services provided, service agreements and duration of engagement.

(4) Such records as mentioned under sub-regulation (3) shall be:

(a) readily accessible for inspection by the Authority or any government authority;

(b) retained for a minimum period of five years after cessation of client relationship or such longer period as may be specified under applicable law and regulations; and

(c) protected through appropriate data security and confidentiality safeguards.

(5) The Trust and Company Services Provider shall establish and maintain internal policies, procedures and system-based controls to ensure effective segregation of duties so that no single function or individual has end-to-end control over client acceptance, service delivery, transaction execution and compliance oversight.

(6) The Trust and Company Services Provider shall ensure that the TCSP services for leasing activities permitted by the Authority are conducted as a distinct and adequately resourced line of business supported by appropriate governance arrangements, policies, systems, controls and key personnel.

10 G. Appointment of Principal Officer and Compliance Officer.

(1) Every Trust and Company Services Provider shall appoint a Principal officer and Compliance officer in accordance with regulation 9 of these regulations.

(2) The Principal Officer and Compliance Officer shall be based out of IFSC and shall be a full-time employee of the Trust and Company Services Provider.

(3) The Principal Officer and Compliance Officer shall possess minimum educational qualifications and experience as specified below:

(a) A professional or post-graduate qualification in finance, law, commerce, or a related field;

(b) In addition to above, the Principal Officer shall have at least five years of post-qualification experience in financial services activity.

Provided that a Compliance Officer appointed under any other applicable law or regulations may be redesignated as the Compliance Officer for TCSP business, subject to fulfilment of the above minimum requirements.

10 H. Eligible Services Recipients

The Trust and Company Services Provider may provide the services to a Service Recipient, who is a Non-resident and from a jurisdiction which has not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as "*High-Risk Jurisdiction subject to call for action*".

Provided that a Trust and Company Services Provider may provide services enlisted under Fifth Schedule to a special purpose vehicle in the IFSC, where such special purpose vehicle is the primary service recipient, even if such services are undertaken at the request of, or for the benefit of, a person resident in India.

Explanation. - Any person resident in India who sponsors, originates, or finances a special purpose vehicle shall not be considered as a service recipient of the Trust and Company Services Provider merely by reason of such association, and the Trust and Company Services Provider shall render its contractual and fiduciary

obligations only towards the special purpose vehicle based in IFSC in accordance with the applicable service agreements.

10 I. Reporting requirements

(1) The Trust and Company Services Provider shall furnish information relating to its operations to the Authority, in such manner, interval and form, as may be specified by the Authority.

(2) Any financial reporting by the Trust and Company Services Provider to the Authority shall be in US Dollar, unless otherwise specified by the Authority

10 J. Action in case of default

(1) The Trust and Company Services Provider who contravenes any of the provisions of these regulations, guidelines, circulars or direction made thereunder, shall be liable for enforcement action under the Act, including but not limited to suspension or cancellation of registration.

(2) No enforcement action as referred to in sub-regulation (1) shall be taken without giving the Trust and Company Services Provider a reasonable opportunity of being heard by way of written submissions.

10 K. Professional indemnity insurance

Every Trust and Company Services Provider shall maintain professional indemnity insurance cover, commensurate with the scale and risk profile of its business, to protect against claims arising from negligence, errors, omissions or breach of duty.

10 L. Conflict of interest framework

Every Trust and Company Services Provider shall identify and wherever appropriate, disclose conflicts of interest arising in the course of its business, and maintain a documented conflict management policy.

2. In the principal regulations, after The Fourth Schedule, the following Schedule shall be inserted namely: -

THE FIFTH SCHEDULE

[refer regulation 10D]

A Trust and Company Services Provider may undertake one or more of the following services for leasing activities permitted by the Authority.

(i) acting as an agent for setting up trusts, companies, limited liability partnerships or any other body corporate;

(ii) acting as or arranging for another person, as the case may be, to act as:

(a) trustee, in case of express trust or performing the equivalent function for any other type of trust;

(b) a director or company secretary or a nominee shareholder, in case of a company;

(c) a partner or a designated partner, in case of limited liability partnerships;

(d) any equivalent person, by whatever name called, in case of a body corporate;

(iii) providing a registered office, business address, correspondence or administrative address for a trust, company or limited liability partnership or body corporate, as may be permitted by applicable law;

(iv) any other services as may be permitted by the Authority.

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./75/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.05.08 14:48:25 +05'30'